राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : प्रशि./जी–88 (पार्ट– I)/2020/ दिनांक :

अधीक्षक,
संलग्न चिकित्सालय संघ,
अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/
कोटा/उदयपुर
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
अलवर/बाडमेर/बांसवाडा/भरतपुर/भीलवाडा/
जालौर/पाली/श्रीगंगानगर/सीकर (राज0)।

विषय :– जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2020–21 में प्रवेश हेतु प्रशिक्षण केन्द्र में उपस्थिति के समय शैक्षणिक एवं अन्य संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जनरल नर्सिंग एवं मिडवाईफरी प्रशिक्षण सत्र 2020–21 के संबंध में 15 राजकीय नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों की उपलब्ध सीटों पर दिनांक 20.11.2020 को प्रथम ऑनलाईन काउंसलिंग की जाकर आपके नर्सिंग स्कूल को आंवटित छात्र, जिनकी सूची विभागीय वैबसाईट पर अपलोड की जा चुकी है। अतः आप नर्सिंग स्कूल में आंवटित छात्रों से उक्त कोर्स में उपस्थिति लेने से पूर्व निम्नलिखित निर्देशों की अक्षरशः पालना करना सुनिश्चित करें। विज्ञप्ति क्रमांक 480–481 दिनांक 24.08.2020 जो विभागीय वैबसाईट पर उपलब्ध है :–

1. यदि कोई महिला अभ्यर्थी आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र पर उपस्थिति के समय चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान **गर्भवती** पायी जाती है, तो उक्त छात्रा को इसी आवंटित सत्र का प्रशिक्षणार्थी (Year Back) मानते हुए उसी प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रशिक्षण आगामी सत्र से शुरू किया जावेगा तथा प्रशिक्षणार्थी की सीट रिक्त नहीं मानी जावेगी। आगामी सत्र में अभ्यर्थी का प्रशिक्षण प्रारंभ करने की सूचना प्रधानाचार्य अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। इस बाबत् अभ्यर्थी से शपथ पत्र लेकर नये सत्र में स्वयं उपस्थित होने हेतु पाबंद करवायेंगे।
2. जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2020–21 में प्रवेश हेतु जारी की गई विज्ञप्ति क्रमांक 480–81 दिनांक 24.08.2020 के (E) विभागीय सेवारत कर्मचारियों के बिन्दु संख्या 4 में उल्लेख किया गया है कि, "समस्त संयुक्त निदेशक, जोन/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ऐसे आवेदनकर्ता का उक्त प्रमाण पत्र/आवेदन पत्र अग्रेषित करते समय यह सुनिश्चित कर ले कि आवेदनकर्ता (विभागीय सेवारत कर्मचारी) की उक्त विज्ञप्ति की अंतिम तिथि तक नियमित (स्थायी) कर्मचारी के रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण हो गई है।" इस संबंध में कुछ आवेदनकर्ता (विभागीय सेवारत कर्मचारी) की उक्त विज्ञप्ति की अंतिम तिथि तक नियमित (स्थायी) कर्मचारी के रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने के कारण माननीय न्यायालय में रिट याचिका दायर कर अभ्यर्थियों द्वारा एक पक्षीय अंतरिम निर्णय प्राप्त किया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों का ऑनलाईन काउंसलिंग द्वारा माननीय न्यायालय के अंतरिम निर्णय के अध्याधीन चयन किया गया है, के संबंध में उपस्थिति के समय शपथ पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। ऑनलाईन काउंसलिंग द्वारा उनका अस्थायी चयन किया गया है। यदि माननीय न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय अभ्यर्थी के पक्ष में नहीं होता है तो उसका प्रवेश स्वतः ही निरस्त समझा जावें।
3. प्रशिक्षण में प्रवेश देने से पूर्व उपरोक्त एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण पत्रों की पूर्ण रूपेण जांच करना सुनिश्चित करे। यदि भविष्य में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो उसके लिए होने वाले प्रतिकूल प्रभाव के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। जिसके लिए दोषी कार्मिकों के विरूद्ध सीसीए नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही अमल मे लायी जावेगी।

(डॉ0 गोविन्द शर्मा)
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : प्रशि./जी–88 (पार्ट– I)/2020/748 दिनांक 23/11/20

प्रतिलिपि :– प्रभारी सर्वर कक्ष मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर जीएनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2020–21 में अपलोड करने का श्रम करे।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर